20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(1)

(39)

नि.ग - 2672 - I - 16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–छतरपुर

1– राजाराम पुत्र श्री सुखलाल यादव
2– खलक सिंह पुत्र श्री सुखलाल यादव
3– भोला यादव पुत्र श्री सुखलाल यादव
4– छविलाल पुत्र श्री सुखलाल यादव
निवासीगण–ग्राम दिदवारा तहसील लवकुश नगर जिला–छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1– हीरालाल पुत्र श्री छोटा यादव
2– श्रीपाल पुत्र श्री छोटा यादव
3– गोपीचंद पुत्र श्री छोटा यादव
4– दुलीचंद पुत्र श्री छोटा यादव
5– प्रेमचंद पुत्र श्री छोटा यादव
6– हिरिया बेवा पुत्र श्री दीनदयाल यादव
7– छिद्दी पुत्र श्री हल्के यादव
समस्त निवासी – ग्राम दिगवारा तहसील लवकुश नगर जिला–छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 19.07.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश पारित किया है। वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2672-एक/2016 राजाराम विरूद्ध हीरालाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक राजाराम व अन्य की ओर से अभिभाषक श्री भूपेन्द्र माहौर उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 6/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-07-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 08-08-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी । प्रकरण में कायमी (Admission) पर निर्णय लिया जाना है । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"	

4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 27/x/18

सदस्य